कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email: cfkumaon_north@rediffmail.com, **☎** (05962) 231099 Fax : 230397 पत्रांक — 2068 / 12—1 अल्मोड़ा, दिनांक, 12.03.2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी देहरादून।

विषय:— चौबाटी—बरम—बचकुडी मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या—7245/2014)।

संदर्भ :- आपकी ऑन-लाइन आपित्त दिनांक 26.02.2015 ।

महोदय.

विषयगत मार्ग से सम्बन्ध में आप द्वारा सूचित 5 बिन्दुओं पर सूचित आपित्तयों के क्रग में प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अपने पत्रांक 2375/12—1 दिनांक 10.03.2015 रो प्रेषित आख्या मय सम्बन्धित अभिलेखों के संलग्न है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार (1 से 5)।

(संतोष विजय शमी)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्तः, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffinail.com , **2** (05962) 231099 Fax : 230397 पत्रांक — 1993 / 12—1 अल्मोड़ा, दिनांक, 26.02.2015.

सेवा में.

प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

विषय :- चौबाटी-बरम-बचकुडी मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव।

संदर्भ :- आप द्वारा प्रेषित ऑन लाईन प्रस्ताव।

महोदय.

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण का ऑन—लाइन प्रस्ताव संस्तुति सिंहत नोडल अधिकारी को भेजे जाने पर उनके द्वारा इस प्रस्ताव में निम्न आपित्तयां सूचित की गयी है—

- 1. DFO has not uploaded the Site Inspection Report.
- 2. The recommendation file of the DFO does not show the name of the project.
- 3. The girth class wise details of trees entered in Part II is erroneous, probably confused with dia class. Kafal is entered three times

उक्त आपत्तियों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया आपत्तियों का निराकरण कर तत्काल प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि इसे नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़। e- mail: dfo_pith_uta @ yahoo . com

दूरभाष / फैक्स नं0- **क** (05964) 225234 पत्रॉक 2375 / 12-1 दिनांक, 10 - 3 न्क्री 5 पिथौरागढ़, सेवा में,

> वन संरक्षक, उत्तरी कुमॉऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।

विषय:- चौबाटी-बरम बचकुड़ी मोटर मार्ग का प्रस्ताव। संदर्भ:- आपका पत्रांक 1993 / 12-1 दि० 26-02-2015 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है:--

बिन्दु संख्या—1 एस०आई.००आर० पुनः अपलोड की जा रही है।

बिन्दु संख्या-2 रिकमन्डेशन फाइल में प्रोजेक्ट का नाम दर्शा दिया गया है।

बिन्दु संख्या-3 Girth class wise वृक्षों की सूची पुनः दर्शायी जा रही है।

बिन्दु संख्या—4 गलत सूचना भरने के कारण संबंधित स्टाफ को कठोर चेतावनी जारी की गई

सलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय.

प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

परियोजना का नाम:— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित चौबाटी—बरम बचकुड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

उक्त मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची वन भूमि प्रस्ताव में दर्शायी गयी है जिसे Girth class wise के आधार पर बनाये जाने पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची निम्नप्रकार है:—

क्र0सं0	प्रजाति	Girth Class				
		31-60	61-90	91-120	120 से अधिक	योग
1	बांज	37	81	23	5	146
2	काफल	12	17	3	0	32
3	बुरांश	8	15	3	1 1	27
4	चीड़	3	26	30	45	104
5	फल्यांट	12	15	2	0	29
6	उतीस	2	8	9	11	30
7	कुकाट/अंग्यार	11	11	2	0	24
योग:-		1311				392

John Mark

प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौराग्रह् ।

परियोजना का नाम:— चौबाटी— बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग 5.409 हे0 निर्माण प्रस्ताव संख्या:— 7245 / 2014

प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा प्राप्त होने के उद्देश्य से उक्त 5.409 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रसारित किया जाता है। प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लगाई सभी शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

प्रभागीय वनिधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़ ।



SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF (for the forest land to be diverted under FCA)

proposal has been received by this office from RES Division Pithoragarh PMGSY for diversion under FCA- 1980) of 3.492 ha. of forest land for nonforestry purpose. The project envisages the use of forest construction of Chobbatim/ road Baram to Bachkur 3.492 haThe site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 7-9-2013 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/ un-classed/protected forest measuring 3.492 ha. The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/ endangered/ unique species of flora and

fauna found in the area. if, so the details there of:-

Whether any protected archeological/ heritage site/ defence establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required:-Not required

A. The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

B. It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. The proposal is recommended for acceptance.

(Signature)

Name:

Date: 31-10-2013 Place: Pithoragarh Designation:

(A.K. upadhayay)

Office seal

Divisional Forest Officer

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the Conservator of forests is required.

LETTER